"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014— श्रावण 6, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 9–34 / 2014 / तक.शि. / 42.— छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 9–25 / 2011 / 42 / तक.शि., दिनांक 20.11.2011 द्वारा उक्त अधिनियम के तहत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की सदस्यता में समय–समय पर विभाग के आदेशों द्वारा किए गए संशोधनों को प्रत्याहृत करती है।

परिणामतः, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन, समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए, निम्नानुसार होगा, अर्थात् :–

1. श्री व्ही.के. श्रीवास्तव,
   मान. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर — अध्यक्ष

2. डॉ. टी.एन. मेहरोत्रा,
   सेवानिवृत्त अधिष्ठाता,
   मेडिकल कॉलेज, रायपुर — सदस्य (चिकित्सा शिक्षा)

3. श्री हरीशचन्द्र शुक्ला,
   अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सदस्य (विधि)

4.	श्री जे. पी. अग्रवाल, 27/395, पुरानी बस्ती, बनिया पारा, रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य (वित्त)
5.	संचालक, तकनीकी शिक्षा (पदेन), छ.ग., रायपुर	–	सदस्य (तकनीकी शिक्षा एवं प्रशासन)

No. F 9-34/2014/ Tec.Edu /42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, withdraws the amendments made from time to time in the Orders issued by the department regarding membership of the Admission and Fee Regulatory Committee, constituted *vide* departmental Order No. F 9-25/2011/42/Tec.Edu., dated 20.11.2011.

Accordingly, the constitution of the Admission and Fee Regulatory Committee for the remaining period of its three years term shall be as follows, namely:—

1.	Shri V. K. Shrivastava, Hon'ble Justice (Retired), High Court, Chhattisgarh, Bilaspur	-	Chairperson
2.	Dr. T. N. Mehrotra, Retired Dean, Medical College, Raipur	-	Member (Medical Education)
3.	Shri Harishchandra Shukla, Advocate, High Court, Chhattisgarh, Bilaspur	-	Member (Law)
4.	Shri J. P. Agrawal, 27/395, Purani Basti, Baniya Para, Raipur (C.G.)	-	Member (Finance)
5.	Director, Technical Education (ex-officio), Chhattisgarh, Raipur	-	Member (Technical Education and Administration)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.